

2018/00355

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम खान्दमा की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 131 में प्रार्थी

का नाम नरामिह जाति चमार दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का

नाम नरामिह जाति बैरा दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का

नाम नरामिह जाति चमार के बजाय नाम नरामिह जाती बैरा दर्ज किया जाना उचित होगा |

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

सुरेश कुमार चौधरी
पटवारी प.म. 11/6/18
तह. खान्दमा जिला-भीलवाड़ा
GLR-13.कमल

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी

तहसीलदार

फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

उ.सं. 381/18

कैम्प. खान्दमा. दिनांक 12/6/18
राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

स्व रिपोर्ट तहसीलदार फूलिया कलां के ग्राम-खान्दमा की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता सं. 131 में दर्ज चमार के नाम बैरा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनाथ- तहसीलदार फूलिया कलां को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, भीलवाड़ा